

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं. 14/रेगूलर/2025
(GCMS No. 2025/91)

तारीख दायरा

14.07.2025

तारीख निर्णय

23.09.2025

सरकार जर्घे प्रवर्तन अधिकारी,
हिण्डोली, जिला बून्दी

– प्रार्थी

बनाम

जुगराज गुर्जर पुत्र सुवालाल गुर्जर,
मैसर्स देवनारायण भोजनालय,
ग्राम सथूर, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6-“ए” आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, हिण्डोली द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 14/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2025/91 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 08.09.2025 को अपना जवाब पेश किया जाकर कार्यवाही को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया, किन्तु आगामी नियत पेशी दिनांक 15.09.2025 को अप्रार्थी के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी



बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 07.03.2025 को प्रवर्तन अधिकारी हिण्डोली द्वारा मैसर्स देवनारायण भोजनालय, सधूर का आकरिमक निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण जुगराज गुर्जर सुवालाल गुर्जर प्रतिष्ठान पर उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान मैसर्स देवनारायण भोजनालय, सधूर पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। मौके पर उपस्थित जुगराज गुर्जर से व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किये जाने के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। वक्त जांच अप्रार्थी के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने का कोई वैध लाइसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिले। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध भंडारण का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस (1 सिलेण्डर एचपी एवं 1 सिलेण्डर इण्डेन कंपनी के) को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त गैस सिलेण्डर मय अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से एचपी गैस सर्विस, सधूर के प्रतिनिधि शिवराम गुर्जर पुत्र किशनलाल गुर्जर की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा दोनों घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान को संवाहित करने हेतु नियमानुसार कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर प्राप्त कर रखे है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 07.03.2025 को अथानक प्रतिष्ठान पर भोजन बनाने समय कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने के कारण एवं अप्रार्थी के पास लकड़ी आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण अप्रार्थी ने आनन फानन में अपने भोजनालय में भोजन सामग्री तैयार करने हेतु एक दिन पूर्व अपने घरेलू दो सिलेण्डर को, जो खत्म हो चुके थे उन्हें भरवाने के लिए अपने प्रतिष्ठान में लाया हुआ था तथा उक्त दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर में से एक को दो दिन पूर्व ही भरवाया गया था और एक घरेलू गैस सिलेण्डर खाली था, को उपयोग में ले लिया गया। उसी दौरान प्रार्थी द्वारा निरीक्षण के दौरान दोनों घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त कर लिये गये। अप्रार्थी द्वारा अपने घर के गैस सिलेण्डर खाली होने के कारण उक्त दोनों गैस टंकी को भराने हेतु अपनी टुकान पर रखे हुये थी एवं वहां पर कोई अतिरिक्त टंकी नहीं रखी हुई थी और न ही भरे द्वारा गैस का अवैध कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अप्रार्थी को झूठे तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा की



गयी कार्यवाही निराधार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किया जाकर अप्रार्थी के 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस अप्रार्थी को सिपुर्द किए जाने के आदेश फरमावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे प्रकट है कि अप्रार्थी द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग की दृष्टि से भण्डारण किया गया है, इस तथ्य की पुष्टि फर्द जति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्य संतोषजनक नहीं पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण करना नियम विरुद्ध है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नांकित गैस सिलेण्डरों को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं—

क्र.सं.	एसआर नम्बर	कम्पनी का नाम	शुद्ध वजन गैस कि.ग्रा.
1	486125T	HPCL	0.00 कि.ग्रा.
2	427858P	INDANE	6.00 कि.ग्रा.
		कुल गैस वजन	6.00 कि.ग्रा.



साथ ही जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के वापस कम्पनी को लौटाये जाने बाबत नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार पालना अविलम्ब की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी